प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 06/2021 आर.टी.आई.
दायर दिनांक - 29.11.2021
निर्णय दिनांक - 13.12.2021

अनुष्का जैन, निवासी 7-ए-14, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर-335001	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

अनुष्का जैन, निवासी 7-ए-14, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 25.11.2021 जरिये आरटीआई पोर्टल कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं अपूर्ण उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 4264-4265 दिनांक 29.11.2021 से अनुष्का जैन द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 08.12.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में कार्यालय टिप्पणी प्रदान करने के संबंध में कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया। अस्थाई रूप से इन्टरनेट बंद करने की कार्यवाही गृह विभाग की परामर्शदात्री दिनांक 24.09.2021 एवं मजिस्ट्रेट, उदयपुर के मांग पत्र दिनांक 24.09.2021 के अनुसरण में की गई। पारित आदेश दिनांक 25.09.2021 के संबंध में कोई कानूनी सलाह नहीं ली गई। सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है, ऐसे प्रश्न किसी मामलें विशेष के औचित्य के बारे में पुछने जैसा ही होगा। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता है कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्यान करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी के प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर

कार्यालय संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

विनिश्चय करने में सफल रहे है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 4476 दिनांक 08.12.2021 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया। उक्त पत्र जरिये ई-मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट एवं आरटीआई पोर्टल से भिजवाया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न ही किसी भी माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन के बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में अपूर्ण सुचना उपलब्ध कराने का आक्षेप प्रस्तुत किया। इस संबंध में यह पाया गया कि अपीलार्थी के आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना ससमय उपलब्ध करा दी गई। जहां तक कार्यालय टिप्पणी के उपलब्ध कराने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में कार्यालय टिप्पणी के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, जो यह प्रकट नही करता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 से चाही गई सूचना अपूर्ण उपलब्ध कराई अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

इसी प्रकार आवेदन के बिन्दु संख्या-4 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा इन्टरनेट बंद करने की मांग के संबंध में प्रेषित पत्रों की उपलब्ध करा दी गई जो आवेदनानुसार उपलब्ध कराई गई, जिससे बिन्दु संख्या-4 के संबंध में प्रस्तुत आक्षेप भी स्वीकार्य नहीं है।

आवेदन के बिन्दु संख्या-5 के कानूनी सलाह के संबंध में सूचना चाही गई थी, जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना शुन्य होने से अवगत कराया, जो उनके द्वारा अपील के प्रत्युतर के क्रम में उचित प्रतीत होती है क्योंकि दिनांक 25.09.2021 को जारी आदेश के संबंध में कोई कानूनी सलाह नहीं ली गई, उक्त आदेश जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा इन्टरनेट बंद करने की मांग एवं गृह विभाग द्वारा जारी परामर्शदात्री के अनुसरण में संभागीय आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जारी किये गये। विधिक स्थिति स्पष्ट करती है कि लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था, या वह क्यों किया गया, या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रदान की गई सूचना की व्याख्यान करने की अपेक्षा रखता है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है।

अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

उपरोक्त विवचेन एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2021 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। न्यायहित में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को संबंधित कार्यालय टिप्पणी की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करावें। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

4602
13-12-21

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

02- अनुष्का जैन, निवासी 7-ए-14, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर-335001

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

कार्यालय संभागीय आयुक्त
सत्यमेव जयते
उदयपुर